2021/16

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट बनाम **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री विपिन कुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल
निवासी सरकारी अस्पताल के पास, कुम्हारवाडा
मु.पो. रोहिडा जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 06 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.01.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 03.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि रोहिड़ा (पिण्डवाडा) निडोरावास में एसडीएम आबूपर्वत के भूमि रूपान्तरण आदेश क्रंमाक / भू.रू. / 89 / 1162 दिनांक 25.5.89 खसरा नं. 2949 में काटे गये प्लॉट के नजरी नक्शे की नकल से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। उपरोक्त सूचना उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत से सम्बन्धित होने से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 386 दिनांक 05.11.2020 द्वारा प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को स्थानान्तरित कर दिया। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 03.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि रोहिड़ा (पिण्डवाडा) निडोरावास में एसडीएम आबूपर्वत के भूमि रुपान्तरण आदेश क्रंमाक / भू.रू. / 89 / 1162 दिनांक 25.5.89 खसरा नं. 2949 में काटे गये प्लॉट के नजरी नक्शे की नकल से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुस[illegible] नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट [illegible] सूचित [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.05.12 16:39:17 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner